



Neutral Citation No. - 2026:AHC:126923

उच्च न्यायालय इलाहाबाद

आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या - 17251/2026

निशाआवेदक(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्यविपक्षी (गण)

आवेदक के अधिवक्ता : जय प्रकाश सिंह, मोहित गौतम, रिचर्ड कुमार, शुभम ओझा

विपक्षी के अधिवक्ता : शासकीय अधिवक्ता

न्यायालय संख्या - 7

माननीय न्यायमूर्ति जय प्रकाश तिवारी,

आज, आवेदक की ओर से दाखिल अनुपूरक शपथ पत्र को अभिलेख पर लिया जाता है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता को सुना तथा मामले के अभिलेख का अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय में विचारण के लंबित रहने के दौरान, थाना सहावर, जिला कासगंज में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 119/2026, अंतर्गत धारा 109(1), 191(2), 191(3), 190, 221, 126(2), 121(1), 132, 115(2), 352, 351(3) भारतीय न्याय संहिता (बी.एन.एस.) एवं धारा 7 आपराधिक कानून संशोधन अधिनियम में आवेदक को जमानत पर रिहा करने की प्रार्थना के साथ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 483 के अंतर्गत वर्तमान जमानत आवेदन दाखिल किया गया है।

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि आवेदक निर्दोष है और उसे इस मामले में झूठा फंसाया गया है। यह तर्क दिया गया है कि आवेदक लगभग 20 वर्ष की अविवाहित लड़की है और वर्तमान आवेदक के विरुद्ध पुलिस द्वारा कोई बरामदगी नहीं की गई थी। यह आगे तर्क दिया गया है कि अन्य सह-अभियुक्तों, अर्थात् कुलदीप, रामावतार और बृज मोहन यादव को इस न्यायालय की समकक्षी पीठ द्वारा क्रमशः आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 18733/2026 (कुलदीप बनाम उत्तर प्रदेश राज्य), आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17965/2026 (रामावतार बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) और आपराधिक प्रकीर्ण जमानत आवेदन संख्या 17915/2026 (बृज मोहन यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य) में पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। यह आगे तर्क दिया गया है कि आवेदक 15.04.2026 से जेल में बंद है और आवेदक का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, वह वचन देती है कि यदि उसे जमानत दी जाती है, तो वह स्वतंत्रता का दुरुपयोग नहीं करेगी। इस ओर भी ध्यान आकर्षित

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



किया गया है कि न्यायालय में मामलों के भारी लंबित होने के कारण, विचारण के शीघ्र संपन्न होने की कोई संभावना नहीं है।

इसके विपरीत, विद्वान अपर शासकीय अधिवक्ता ने आवेदक की जमानत की प्रार्थना का विरोध किया है।

तथ्यों की समग्रता, प्रकृति और अभिलेख से प्रकट साक्ष्य पर विचार करने पर, आवेदक के सह-अभियुक्तों को इस न्यायालय की समकक्षी पीठ द्वारा पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, मैं इसे जमानत के लिए एक उपयुक्त मामला पाता हूँ। अतः वर्तमान जमानत आवेदन स्वीकार किया जाता है।

उपर्युक्त मुकदमा अपराध में संलिप्त आवेदक- निशा को संबंधित न्यायालय की संतुष्टि पर 50,000/- रुपये का व्यक्तिगत बंधपत्र और उतनी ही धनराशि के दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए:-

(i) आवेदक मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वचन नहीं देगा जिससे कि वह ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से विरत रहे या साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ न करे।

(ii) आवेदक अभियोजन पक्ष के गवाहों पर दबाव नहीं डालेगा/उन्हें डराएगा नहीं।

(iii) आवेदक (i) वाद को शुरू करने, (ii) आरोप विरचित करने और (iii) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बी.एन.एस.एस.) की धारा 351 के अंतर्गत न्याय दर्ज करने के लिए नियत तिथियों पर व्यक्तिगत रूप से विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा।

(iv) आवेदक इस आशय का एक वचनपत्र दाखिल करेगा कि विचारण न्यायालय में गवाहों की उपस्थिति के समय वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर कोई स्थगन नहीं मांगेगा।

(v) आवेदक नियत प्रत्येक तिथि पर विचारण न्यायालय के समक्ष या तो व्यक्तिगत रूप से या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहेगा।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त के उल्लंघन के मामले में, यह जमानत निरस्त करने का एक आधार होगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में कही गई कोई भी बात केवल इस जमानत आवेदन के निर्धारण के उद्देश्य तक सीमित है और इसे किसी भी तरह से मामले के गुण-दोष पर अभिव्यक्ति के रूप में नहीं समझा जाएगा। विचारण न्यायालय इस आदेश में कही गई किसी भी बात से अप्रभावित रहकर, प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर अपने स्वतंत्र निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए पूर्णतः स्वतंत्र होगा।

(जय प्रकाश तिवारी, न्यायमूर्ति)

11 जून, 2026

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



बृजेश

Translated version. Not for Legal Use.

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"